

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सीपज़-विशेष आर्थिक क्षेत्र
प्राधिकरण,
अंधेरी (ई), मुंबई-400096.



Government of India
Ministry of Commerce &
Industry, SEEPZ-Special
Economic Zone Authority,
Andheri (E), Mumbai-
400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in, ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in, टेलीफोन: 022-28290856/
28294700

No. E-FNC/225/2022-EF

Date: 26/09/2024

सार्वजनिक सूचना. 05 /2024

Public Notice No. 05 Dated 2024

विषय: प्लॉटधारकों के लिए निर्मित क्षेत्र पर पट्टा किराया लगाना
Sub: Levy of lease rent on the built up area for the Plot holders.

नवीनतम परिपत्र के अनुसार भूखंड क्षेत्र पर 10/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पट्टा किराया लगाने और समय-समय पर किराए में वृद्धि की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि स्व-वित्तपोषण योजना पर निर्मित एसडीएफ-7, टावर्स और बहुमंजिला इमारतों में यूनिट धारकों की तुलना में प्लॉट धारकों पर लीज रेंट लगाने में कोई विसंगति नहीं थी।

इसलिए दरों में विसंगति से बचने के लिए, प्राधिकरण द्वारा 20.08.2024 को आयोजित अपनी 69^{वीं} प्राधिकरण बैठक में संभावित आधार यानी 01.10.2024 से निर्मित निर्मित क्षेत्र पर लीज किराया और सेवा शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया।

कृपया यह आपकी जानकारी के लिए है।

Attention is invited to the levy of lease rent @ Rs. 10/- per sq. mtr. on the plot area and time to time increase on the rent as per the latest circular.

It is to mention that there was no anomaly on levy of lease rent on the Plot holders vis-a-viz Unit holders in SDF-7, Towers & Multistoried bldgs constructed on self financing scheme.

Hence in order to avoid anomaly in the rates, it was decided by the Authority in its 69th Authority meeting held on 20.08.2024 to levy lease rent and service charges on the constructed built up area from prospective basis i.e. w.e.f. 01.10.2024.

This is for your information please.

(डॉ. प्रसाद वरवंटकर)

संपदा अधिकारी

सीपज़ - सेज़

Copy to:

1. All Unit Holder, SEEPZ-SEZ
2. Specified Officer, Customs, SEEPZ-SEZ
3. Security Section, SEEPZ-SEZ
4. Caretaker, SEEPZ-SEZ